विशेष गहन पुनरीक्षण-2026

छत्तीसगढ़ SIR : गणना चरण के प्रमुख निष्कर्ष

दिनांक 04.11.2025 से 18.12.2025 तक

#SIR2026

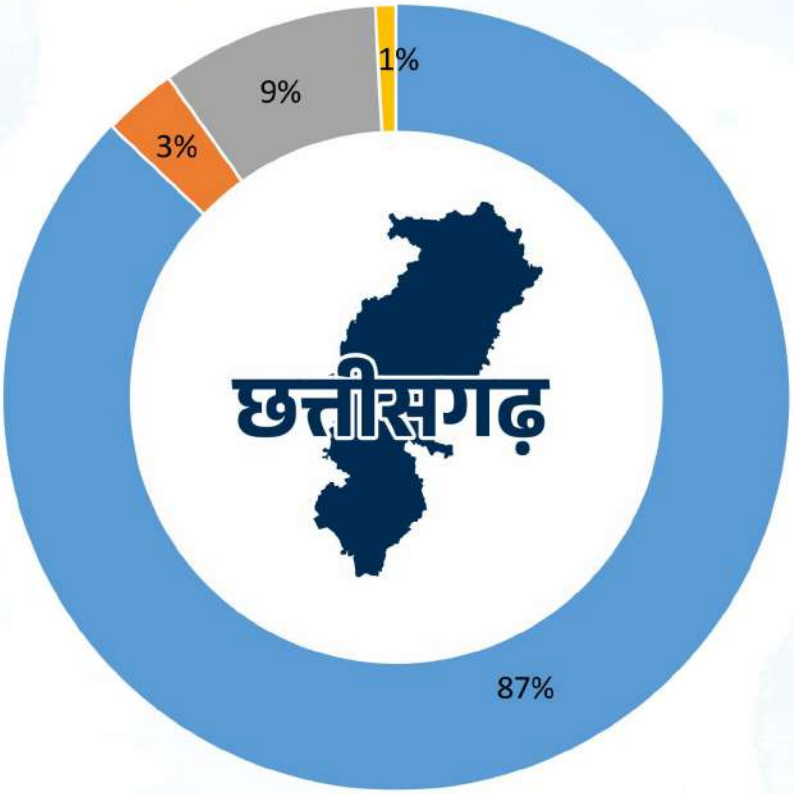

- EF Collected from Electors (1,84,95,920)
- Death (6,42,234)
- Shifted/Absent*(19,13,540)
- Enrolled at Multiple Places in ER** (1,79,043)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
छत्तीसगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 23.12.2025

छत्तीसगढ़ SIR: गणना चरण के प्रमुख निष्कर्ष

दिनांक : 04.11.2025 से 18.12.2025 तक

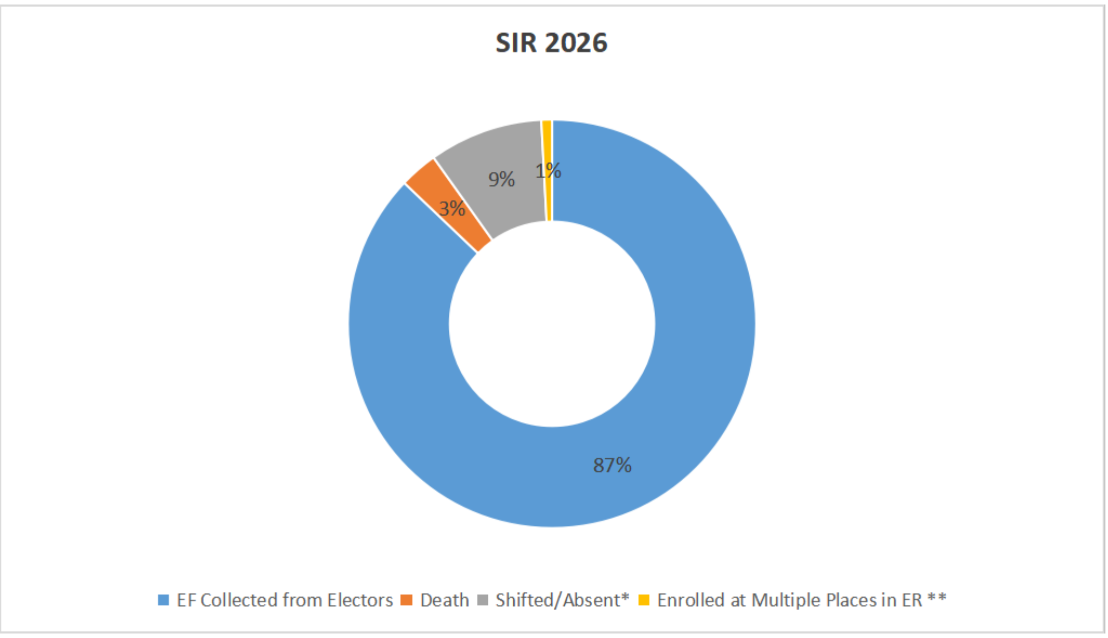

EF Collected from Electors	1,84,95,920
Death	6,42,234
Shifted/Absent*	19,13,540
Enrolled at Multiple Places in ER **	1,79,043

*बीएलओ को ये मतदाता नहीं मिले या उन्होंने गणना प्रपत्र वापस नहीं किया क्योंकि:

- वे अन्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के मतदाता बन चुके है, या
- वे उपस्थित नहीं पाए गए, या
- 18 दिसंबर 2025 तक प्रपत्र जमा नहीं किया, या
- किसी कारणवश मतदाता के रूप में पंजीकरण के इच्छुक नहीं थे।

वास्तविक पात्र मतदाताओं को दावा एवं आपत्ति चरण **(23.12.2025** से **22.01.2026)** के दौरान पुनः मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है।

**एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं का नाम केवल एक स्थान पर ही रखा जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम स्पष्ट उद्देश्यों के साथ लागू किया जा रहा है, ताकि अधिकतम सहभागिता, सभी पात्र मतदाताओं का पूर्ण समावेशन तथा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य एवं उपाय निम्नानुसार है।

1. सभी मतदाताओं एवं सभी राजनैतिक दलों की सहभागिता:

सभी मतदाताओं एवं सभी राजनैतिक दलों की सहभागिता से 18.12.2025 तक, कुल 2,12,30,737 मतदाताओं में से 1,84,95,920 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा करवाए, जो SIR के प्रथम चरण में व्यापक सहभागिता को दर्शाता है।

इस चरण की सफलता 33 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO), 90 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO), 377 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO), 734 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तथा 24,371 मतदान केंद्रों पर तैनात बीएलओ के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। 7 प्रमुख राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्षों सहित उनके क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय सहभागिता की तथा 38,846 बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए।

2. कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं:

सार्वभौमिक जागरुकता एवं सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु गणना अवधि के दौरान सीईओ, डीईओ एवं ईआरओ द्वारा व्यापक जन-जागरुकता अभियान चलाए गए तथा राजनैतिक दलों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गई।

बीएलओ द्वारा बीएलए के साथ बूथ स्तर की बैठकें की गई, जिन्हें प्रतिदिन अधिकतम 50 गणना प्रपत्र जमा करने की अनुमति दी गई। 27.10.2025 तक सूचीबद्ध सभी मतदाताओं के घर-घर जाकर प्रपत्र वितरित किए गए तथा संग्रह हेतु कम से कम तीन बार भ्रमण किया गया।

3. 01.01.2026 की अर्हता तिथि के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) का संशोधित शेड्यूल:

स क्र	विवरण	शेड्यूल
1	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन	23 दिसंबर, 2025
2	दावे और आपत्तियों की अवधि	23 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026
3	नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन)	23 दिसंबर, 2025 से 14 फरवरी, 2026
4	वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन	21 फरवरी, 2026

4. यह कैसे जांचें कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं:

- स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास उपलब्ध ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से ।
- ECINET मोबाइल ऐप से ।
- voters.eci.gov.in में जाकर ।

5. अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो क्या करें:

अगर नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र (एनेक्सर - IV) भरना होगा और इसे अन्य 13 प्रकार के सांकेतिक दस्तावेज जो ईसीआई द्वारा निर्धारित किया गया है उनमें से कोई एक दस्तावेज के साथ जमा करना होगा।

6. एप्लीकेशन फॉर्म:

फॉर्म 6	नए वोटर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म 6A	विदेश में रहने वाले वोटर द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए एप्लीकेशन
फॉर्म 7	मौजूदा निर्वाचक नामावली में नाम हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए वोटर एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म 8	निवास बदलने/मौजूदा निर्वाचक नामावली में एंट्री में सुधार/EPIC बदलने/PwD मार्क करने के लिए वोटर एप्लीकेशन फॉर्म

7. एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ जमा करें:

- नागरिक अपना एप्लीकेशन फॉर्म घोषणा पत्र सहित, अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा कर सकते हैं, या
- एप्लीकेशन फॉर्म ECINET मोबाइल ऐप या https://voters.eci.gov.in के ज़रिए ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।

8. प्रमुख पहल:

- **बीएलओ को सहयोग:-** बीएलओ को गणना चरण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अभिहित अधिकारी/कर्मचारियों , स्वयंसेवक एवं आईटी सक्षम अधिकारियों द्वारा सहयोग दिया गया।

- **सम्मान समारोहः-** कार्य समय सीमा में पूर्ण करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया तथा मतदाता दिवस की उपलक्ष पर ऐसे 280 BLOs को इंसेंटिव के साथ सम्मानित किया जाएगा।
- **क्षमता निर्माणः-** SIR कार्य में लगे अधिकारी/कर्मचारियों को बार-बार प्रशिक्षण, शंका समाधान सत्र एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा 98% से अधिक मैपिंग सुनिश्चित की गई।
- **सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता:-** SIR से संबंधित पहलुओं/प्रक्रिया की जानकारी साझा की गई ताकि प्रक्रिया को समझने व फॉर्म भरने आदि में आसानी हो
- **डिजिटाइजेशन हेतु सामुदायिक मॉडल:-** कमजोर नेटवर्क क्षेत्रों में सामूहिक डिजिटाइजेशन किया गया।
- **शहरी विशेष शिविरः-** सभी नगरीय निकायों के वार्डों में नगर निगम व नगर पालिका के सहयोग से फार्म डिजिटाइज करने हेतु विशेष शिविर आयोजित किए गए।
- **नए मतदाताओं को प्रेरित करना:-** नए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने एवं मतदाता सूची में पंजीयन करने हेतु राज्य के सभी महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

9. युवा वोटरों को शामिल करना:

- जो युवा वोटर 01.01.2026 को या उससे पहले 18 साल के हो गए हैं या 1 अक्टूबर 2026 तक हो जाएंगे, उन्हें फॉर्म-6 में घोषणा पत्र के साथ आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- सभी योग्य युवा वोटरों के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने के लिए पूरे राज्य में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

10. मतदाताओं एवं राजनैतिक दलों के साथ सहभागिता:

- जिन मतदाताओं को मृत, स्थायी रूप से पलायन कर चुके, लापता बताया गया था, या जिनके फॉर्म नहीं मिले थे, उनकी बूथ-लेवल लिस्ट राजनैतिक पार्टियों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों के साथ सत्यापन के लिए साझा की गईं।
- समस्त मतदान केंद्रों की मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपलब्ध अथवा जिनके प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, ऐसे मतदाताओं की बूथवार सूची राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए बीएलए को सत्यापन हेतु साझा की गई।

11. चुनाव कर्मचारियों और वॉलंटियर्स द्वारा सहायता:

- पूरा चुनाव तंत्र, वॉलंटियर्स के सहयोग से, वोटरों, खासकर सीनियर सिटीजन, PwD वोटरों और कमज़ोर समूहों की मदद कर रहा है। वॉलंटियर्स मतदाताओं पर बोझ कम करने के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय को आसान बनाया जा रहा है ।
- वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग एवं कमजोर वर्गों को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए राज्यभर में 30,000 से अधिक वॉलेन्टियर्स नियोजित किए गए। जिला तथा तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क आईटी डेस्क स्थापित किए गए।

12. गणना के दौरान शिकायत निवारण:

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा 33 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा साथ ही आमजन के लिए आवश्यक समस्त जानकारी प्रेसनोट , मतदाता जागरूकता से संबंधित वीडियो आदि के जरिए समय-समय पर दी गई। मीडिया एवं सोशल मीडिया पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का व्यक्तिगत रूप से समाधान किया गया।

13. प्रारूप मतदाता सूची की जांच:

- SIR कार्यक्रम अनुसार प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की गई। निर्वाचक नामावली की बूथवार मुद्रित व डिजिटल प्रतियां राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई गई एवं सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in पर प्रदर्शित की गई।
- दावा एवं आपति अवधि (23.12.2025 से 22.01.2026) के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा अपात्र नाम हटाने हेतु आवेदन किया जा सकता है।

14. नियमानुसार ही नाम विलोपन:

- SIR दिशा-निर्देशों के पैरा 5 (ख) अनुसार ERO/AERO द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं स्पष्ट आदेश के बिना कोई भी नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा । ERO/AERO के आदेश से कोई भी पीड़ित मतदाता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के अंतर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष कर सकता है।

- आयोग पारदर्शी, सहभागी एवं समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्वाचक नामावली में कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति का नाम रह न जाए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
छत्तीसगढ़